न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/गुना/भू-रा/2017/2267 /2017 पुनरीक्षण

1. गुलाब सिंह
2. सरदार सिंह
3. सज्जन सिंह पुत्रगण श्री जगन्नाथ सिंह गुर्जर
4. लक्ष्मीबाई पत्नी श्री कन्हैयालाल गुर्जर
5. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल गुर्जर
6. प्रताप सिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल गुर्जर
7. अनीता बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल गुर्जर

सभी निवासीगण राघौगढ़, तहसील–राघौगढ़ जिला–गुना म.प्र.

श्री S. K. Vajpai द्वारा आज दि. 19/7/2017 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. बाबूलाल आत्मज श्री भवरलाल माली
   निवासी–राघौगढ़ तहसील–राघौगढ़ जिला–गुना
2. म.प्र.शासन

अपर आयुक्त जिला–ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 181/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 13/01/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयो के विवादित आदेश अवैध एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदकगण ने कस्बा राघौगढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–21 एवं 85/1/1 के अभिलिखित भूमि स्वामी है भूमि सर्वे क्रमांक–85/1/1 का पुनः बंटाकन हो चुका है जो राजस्व खसरो में अंकित है परंतु नक्शे में बटांकन न होने के कारण आवेदकगण ने अपनी भूमि के नक्शे में भूमि स्वामीयों के आधिपत्य के अनुसार बटांकन हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन दिया था जिसे नियमानुसार कार्यवाहीं करने के बाद स्वीकार किया गया।

शाखा प्रभारी (रा.अं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

3. यह कि, अनावेदक–1 का भूमि सर्वे क्रमांक–85/1/1 से कोई संबंध नहीं है अनावेदक–1 ने तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस पर विचार करने के बाद तहसील न्यायालय ने उस आपत्ति को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी।

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर /निग0/गुना/भू.रा./2018/2267

गुलाब सिंह विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
16-02-18	आवेदक की ओर से श्री मुकेश बुलापुरकर अभि.उप. । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13.01.2017 का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में उपस्थित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश 13.01.2017 में विस्तृत विवेचना किए जाने से यहां विवेचना को पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार गया गया है। विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	